बालासोर ट्रेन दुर्घटना - बिहार के पीड़ितों के पुनर्वास हेतु बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नया एवं प्रशसनीय प्रयास

==========

बालासोर ट्रेन दुर्घटना ने देश और कई राज्यों विशेषकर बिहार को प्रभावित किया। मृतकों और घायलों की सूची में बिहार से भी बड़ी संख्या में लोग शामिल हैं। वे अपने घर बिहार वापस आने लगे। माननीय उपाध्यक्ष, बीएसडीएमए ने पीड़ित परिवारों को तत्काल, मध्यम और दीर्घकालिक सहायता के लिए बीएसडीएमए और स्थानीय गैर सरकारी संगठनों की ताकत जुटाकर एक बहुत ही असामान्य लेकिन समय पर प्रयास किया।

माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में 09-06-2023 को विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, बीआईएजी और यूनिसेफ की एक बैठक आयोजित की गई। माननीय उपाध्यक्ष की भावुक अपील पर और माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा के सक्रिय नेतृत्व के साथ, गैर सरकारी संगठन और बीएसडीएमए के अधिकारी विभिन्न जिलों में चले गए जहां से पीड़ितों को प्रारंभिक सर्वेक्षण के लिए रिपोर्ट किया गया था। जरूरतमंद परिवार को 15 दिनों के लिए भोजन के पैकेट के माध्यम से तत्काल राहत प्रदान की गई और यहां तक कि कुछ परिवारों को जहां जरूरत महसूस हुई, उन्हें 1000 नकद भी दिए गए। बीएसडीएमए पेशेवर डीआर बी के सहाय, सलाहकार, डॉ अनिल कुमार, वरिष्ठ सलाहकार, श्री दिलीप कुमार, वरिष्ठ सलाहकार, श्री नीतीश चौधरी, एसआरओ और श्री आलोक कुमार, आरओ ने राज्य के दूर-दराज के क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने पीड़ितों को उनके दरवाजे पर सहायता प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मजलूम खातून (पत्नी स्व कासिम मियाँ) , बरवा, जोगापट्टी, पश्चिम चम्पारण के घर पर BSDMA के अधिकारी

जीविका और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से बीएसडीएमए अधिकारियों द्वारा मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मोंगर, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी जिलों में पीड़ित परिवारों का दूसरे दौर का दौरा किया गया। जहां भी आवश्यकता महसूस हुई, पीड़ित परिवारों को उनकी समस्याओं के समाधान में सुविधा प्रदान की गई। यह देखा गया कि आजीविका सहायता के लिए जीविका बहुत प्रभावी भूमिका निभा सकती है और उन्हें अपनी 'सतत जीविकोपार्जन योजना' के माध्यम से कार्य करने की आवश्यकता है। TISS के सहयोग से Recovery कार्य योजना भी तैयार की गई।

पीड़ितों के परिवार की स्थिति के बारे में जानकारी उपलब्ध होने के साथ, परिवारों से जुड़ने और जहां भी जरूरत हो सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया। खासकर घायलों के इलाज पर बीएसडीएमए की पहल पर बिहार सरकार ने गंभीरता से लिया. मुख्यमंत्री ने जीवित बचे घायलों का समुचित उपचार मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा कराये जाने के भी निर्देश दिये। इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश को डीएमडी के माध्यम से सभी डीएम को अवगत करा दिया गया है. बीएसडीएमए अधिकारियों ने पीड़ितों को कई तरह से सहायता प्रदान की जैसे लापता होने के मामले में डीएनए मिलान के लिए उनकी मदद करना, जीवित बचे लोगों और पीड़ितों के अगले परिजनों को रेलवे, राज्य सरकार से मुआवजे के लिए मार्गदर्शन करना।

माननीय उपाध्यक्ष ने सरकारी विभागों और गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति पर काम करने का निर्देश दिया और इस उद्देश्य के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खोजने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि एक उदाहरण बनाया जा सके और इससे एसओपी विकसित करने में मदद मिल सके।

बिहार के सभी प्रभावित प्रखंडों से संबंधित जीविका दीदियों की एक कार्यशाला पटना में 01 अगस्त, 2023 को आयोजित करने का निर्णय हुआ। इसमें बीआईएजी, आरएफ, टीआईएसएस, वाईवीएफ, प्राधिकरण के समस्त प्रोफेशनल्स ने सहभागिता दी।

"बालासोर ट्रेन दुर्घटना - बिहार के पीड़ितों का प्रबंधन - भविष्य की कार्रवाई" विषयक एक कार्यशाला का आयोजन माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत मिश्र की अध्यक्षता में राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, पटना में 01 अगस्त, 2023 को किया गया। माननीय उपाध्यक्ष डॉ उदय कांत ने दौरान पीड़ितों के पुनर्वास को सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और दीर्घकालिक उपायों के लिए सभी ठोस प्रयासों की आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने बताया कि इस परियोजना को गैर सरकारी संगठनों और विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से मिशन मोड में चलाया जायेगा ताकि कल किसी भी आपदा के खिलाफ Response का एक उदाहरण स्थापित किया जा सके। उनहोंने पुनर्वास और पुनर्प्राप्ति (Rehabilitation and Recovery) की दिशा में हमारी अगली कार्रवाई की योजना बनाने के लिए सभी से सार्थक चर्चा और सक्रिय भागीदारी की अपील की। उन्होंने कहा कि जीविका, रिलायंस फाउंडेशन, बीआईएजी और कॉर्स्टोन सभी आगे का रास्ता खोजने में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं ताकि यह बिहार में भविष्य की आपदाओं के लिए रोल मॉडल बन सके। इससे भविष्य में नई एसओपी और रूपरेखा तैयार करने में मदद मिल सकती है। माननीय सदस्य श्री मनीष कुमार वर्मा ने अपने उद्घाटन भाषण में कहा कि सामान्य प्रथा के रूप में मुआवजा दिए जाने के बाद भी पीड़ित परिवारों की देखभाल करने की यह एक अच्छी और अनूठी पहल है। उन्होंने जीविका के माध्यम से खाद्यान्न सहायता और घायलों के इलाज का ख्याल रखने की बात कही। यह पहल बीएसडीएमए द्वारा एक प्रयोग है और इससे भविष्य की कार्रवाइयों के लिए नई एसओपी और रूपरेखा तैयार हो सकती है। श्री पी.एन.राय ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दुर्घटना (आपदा) के बाद इस प्रकार की प्रतिक्रिया बिल्कुल नई अवधारणा है। श्री राय ने आगे बताया कि जीविका, बीआईएजी की मदद से आरसीटी (रेलवे) को दावा प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि दिन भर की चर्चा से कुछ विचार सामने आ सकते हैं जो एसओपी तैयार करने में मदद कर सकते हैं। टीआईएसएस के प्रोफेसर जैकलीन जोसेफ ने कहा कि वे जीविका के परामर्श से आगे की कार्रवाई की योजना बनाने में सहायता कर सकते हैं। सुश्री मधुलिका मणि और मैडम नैंसी ने जीविका दीदियों के लिए प्री ट्रॉमा मैनेजमेंट पर एक सत्र आयोजित किया और उन्हें प्रभावी ढंग से बताया कि उन्हें पीड़ित परिवारों से कैसे संपर्क करना है, कैसे बातचीत करनी है और कैसे परामर्श देना है?

जीविका की श्री नीरज कुमार सिंह ने विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों के बारे में बताया जो जीविका उनके लिए शुरू कर सकती है:

(i) अस्पतालों में उनकी मौजूदा सुविधाओं के माध्यम से सभी जिला अस्पतालों में हेल्प डेस्क सहायता।

(ii) चिकित्सा सहायता की आवश्यकता वाले घायलों के लिए, जीविका दीदियाँ एक सूची बना सकती हैं और फिर पूरे राज्य के लिए व्यापक सूची बना सकती हैं। वे 06 महीने तक अनुवर्ती कार्रवाई कर सकती हैं।

(iii) जीविका दीदियाँ सतत जीविकोपार्जन योजना (एसजेवाई), वनपोषक योजना, मनरेगा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं में से एक विशेष योजना की पहचान कर सकती हैं।

(iv) जीविका दीदियाँ विकलांगता प्रमाणपत्र (दिग्यांग्ता प्रमाण पत्र) के लिए सहायता प्रदान कर सकती हैं जो आरसीटी (रेलवे) के समक्ष दावा दायर करने में सहायक हो सकता है।

जीविका के डॉ. रितेश ने कहा कि स्वैच्छिकता की भावना के साथ जीविका की भूमिका सराहनीय है और इसकी वास्तव में बहुत आवश्यकता है। उन्होंने प्रत्येक पीड़ित परिवार के लिए माइक्रोप्लान तैयार करने की सलाह दी, ताकि पीड़ित को किसी न किसी जीविका योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने जीविका दीदियों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी होने के बाद दिब्यांग पेंशन के लिए आवेदन करने के लिए दिव्यांग व्यक्तियों पर भी ध्यान देने की सलाह दी।

ईसी रेलवे हाजीपुर के श्री मनीष कुमार ने बताया कि बिहार से दावा मामले आरसीटी में दायर किए जाने के लिए रेलवे कि सहयोगी कि भूमिका के बर्वे में बताया। बीआईएजी के श्री संजय पांडे ने बताया कि वे जहां भी आवश्यकता होगी सहायता प्रदान करने के लिए तैयार हैं।

रिलायंस फाउंडेशन के श्री आनंद बिजेता ने बताया कि वे बीएसडीएमए की पहल पर बिहार आए थे। उन्होंने निम्नलिखित कार्य शुरू कर दिया है/करेंगे:

(i) वे पहले ही मृतक परिवारों को 01 महीने का राशन और अगले 02 महीनों के लिए कूपन देकर राशन सहायता प्रदान कर चुके हैं। वे 06 महीने तक सहायता प्रदान करना जारी रखेंगे।

(ii) वे घायलों और विकलांगों को, जहां भी आवश्यकता हो, कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए तैयार हैं।

(iii) वे पीड़ित परिवार (मृतक) के एक सदस्य को नजदीकी मार्ट/स्टोर में उपयुक्त प्रशिक्षण देकर रोजगार प्रदान करेंगे। प्रभावित परिवार के सदस्यों को कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देंगे तथा पीड़ित परिवारों को पशुधन कि सहायता भी देंगे, जिससे उनका जीविकोपार्जन चलता रहे।

12 अगस्त, 2023 शनिवार को जीविका के साथ प्राधिकरण के मीटिंग हॉल में माननीय उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक विस्तृत बैठक की गयी। विस्तृत चर्चा के बाद निम्न बिन्दुओं पर सहमति बनी:

अ) पीड़ित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्प्राप्ति के लिए प्राधिकरण, जीविका समूह, BIAG, रिलायंस फाउंडेशन, CORSTONE एवं TISS संयुक्त रूप से आगे बढेंगे. इस प्रकल्प का नाम प्रोजेक्ट विश्वास दिया गया। ऐसे परिवारों के विस्तृत सर्वेक्षण लिए एक प्रारूप तय किया गया।

आ) जीविका समूह अपने जिला के अधिकारियों से मिलकर विस्तृत सर्वेक्षण करेगी। BIAG के प्रतिनिधि जिस जिले में होंगे, सहयोग प्रदान करेंगे।

इ) सर्वेक्षण का डाटा एक गूगल शीट के माध्यम से जीविका के पास आयेगी। इस हेतु आवश्यक कार्रवाई के लिए TISS का सहयोग जीविका को मिलेगा।

24 अगस्त, 2023 को सभी सम्बंधित विभागों, BIAG, अन्य NGOs एवं TISS की बैठक ऑनलाइन मोड में हुई जिसमें निम्न बिदुओं पर आगे कार्रवाई का निर्णय हुआ:

1. सर्वेक्षण का कार्य पूरा होने के बाद जीविका बताएगी कि किस जिले में जीविका प्रतिनिधियों को प्री ट्रामा मैनेजमेंट के ऊपर प्रशिक्षण दिया जाना है। तब corstone प्रशिक्षण देने के लिए आगे आ जाएंगे।
2. रिलायंस फाउंडेशन जोहो ऐप कि सुविधा देगी ताकि पीड़ित परिवारों के डाटा को फीड किया जा सकेगा। इससे बड़ी आसानी से कई तरह के रिपोर्ट जनरेट किया जा सकगा।
3. रिलायंस फाऊंडेशन का 10 पॉइंट सहयोग का एजेंडा है। उस एजेंडा के तहत कम से कम तीन बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है और इन तीन बिन्दुओं पर ध्यान देते हुए

सर्वेक्षण के दौरान ऐसे व्यक्ति और परिवारों को इंगित करना है जिनको रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से पुनर्वास में सहयोग दिया जा सके:

a. प्रत्येक मृत परिवार से एक व्यक्ति को इंगित करना है जिसको रिलायंस फाउंडेशन के माध्यम से प्रशिक्षण देकर नौकरी योग्य बनाना और रिलायंस द्वारा उनके अपने किसी मार्ट में उनको नौकरी दिया जाना है।
b. प्रत्येक पीड़ित परिवार से एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करना है जिसका चयन हो जाने के बाद उनको रिलायंस फाउंडेशन द्वारा विशेष प्रशिक्षण देकर उनके कौशल को बढाया जा सके ताकि कही भी वे रोजगार का प्रयास कर सकें।
c. ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाना है, जिन्हें लाइव स्टॉक (LIVESTOCK) सपोर्ट की जरूरत है। रिलायंस फाउंडेशन द्वारा उन परिवारों को LIVESTOCK सपोर्ट दिया जायेगा।

यह निर्णय किया गया कि निश्चित रूप से आरंभिक सर्वेक्षण डीएमडी के लिस्ट के आधार पर ही करना है ताकि एक समय सीमा के अंदर इस कार्य को समाप्त कर सके। बाद में वैसे व्यक्ति, जो टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस के लिस्ट में है लेकिन लेकिन उनको सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है, का सर्वेक्षण अलग से किया जा सकेगा और एक अलग से उनकी सूची बनाई जा सकेगी।

सामाजिक कल्याण विभाग एवं सामाजिक सुरक्षा निदेशालय से समन्वय स्थापित किया गया एवं वे भी सहयोग कि भूमिका में आगे आ गए। इस निदेशलय द्वारा अपने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे सभी सुरक्षा की योजनायों से पीड़ित परिवारों को आच्छादित करें। इसका सुखद परिणाम देखने को मिला। १० दिन के भीतर सामाजिक सुरक्षा निदेशालय ने सभी पीड़ितों एवं परिवारों को विभिन सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से आच्छादन किया एवं उन्हें सभी संभव सहयोग प प्रयास किया।

प्रोजेक्ट विस्वास के तहत सभी जिलों में एक साथ सर्वेक्षण का कार्य जीविका जिला प्रबंधकों द्वारा किया जा रहा है । वे 2 से 3 दिनों के अन्दर फाइनल किये गए गूगल शीट पर डाटा अपडेट कर देंगे।साथ ही एक एक परिवार के लिए जीविका के तहत यथाआवश्यक योजना तैयार की जा रही है ।